



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 169 राँची, सोमवार,

20 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-135/2016-19375 (HRMS)—मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-839/ डी०आर०डी०ए०, दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

(1) बरियातु प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंकेक्षण में पाया गया है कि बरियातु प्रखंड के कुल 09 पंचायतों में पंचायतों द्वारा ली गई योजनाओं में आपके द्वारा जो राशि FTO के माध्यम से निकाली गई है, उसकी प्रविष्टि पंचायत के योजना पंजी, FTO पंजी में नहीं पायी गयी है। इन योजनाओं में कुल 56,85,598/- रु० मनरेगा मद की निकासी FTO के माध्यम से फर्जी अभिश्रव एवं मास्टर रोल के आधार पर की गई है ।

(2) आपके द्वारा बरियातु प्रखंड के मनरेगा योजनाओं में सामग्री आपूर्ति के लिए मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी के नाम बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा के खाता सं०-590220110000131 में जो राशि मनरेगा की भुगतान की गई है, उसकी जांच के क्रम में निम्नांकित अनियमितता पायी गई है-

(i) मो० जनाब अंसारी को विभिन्न तिथियों में कुल 74.80 लाख रु० का भुगतान किया गया है, जो मनरेगा लाभुक नहीं है ।

(ii) मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी के प्रोपराईटर कमरूल आरफी ने स्वयं अपने नाम से कुल 1,05,30,754/- रु० नकद राशि निकासी की गई है, जिसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि मनरेगा की इस राशि का व्यय कहाँ हुआ और किनको भुगतान किया गया, यह एक वित्तीय अनियमितता है एवं मनरेगा अधिनियम का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है ।

(iii) मो० फकरू के नाम से 5.15 लाख रु०, अफसर आलम के नाम से 12.00 लाख रु०, जाहिद अली के नाम से 5.00 लाख रु०, साहिद अख्तर के नाम 8.00 लाख रु०, जाहिद आलम के नाम से 4.40 लाख रु०, गुफरान राज के नाम 7.00 लाख रु० अर्थात् उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को कुल 41.55 लाख रु० भुगतान किया गया, जिसकी कोई भी विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है कि वे मनरेगा के किस योजना के लाभुक थे ।

(iv) आपने स्वयं अपने नाम से 15.00 लाख रु० मनरेगा की राशि चेक के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा से निकासी की है, परन्तु इस राशि को आपने कहाँ व्यय किया और किन मनरेगा के लाभुकों को इसका भुगतान किया गया, इसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

(v) भेंडर द्वारा श्री आशीष कुमार को कुल 7.50 लाख रु० का भुगतान किया गया है, जो मनरेगा के लाभुक नहीं हैं ।

(vi) भेंडर एवं आपने कुल 6.18 लाख रु० अविनाश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम पर निकासी की गई है, जिसकी कोई विवरणी प्रखंड कार्यालय, बरियातु में आपके द्वारा संधारित नहीं किया गया है ।

(vii) आपने मनरेगा के भेंडर कमरूल आरफी के साथ मिली-भगत कर विभिन्न जीवन बीमा कंपनियों, Travels & Tours एवं Auto Sweep कंपनियों के माध्यम से कुल 57,41,310.40 रु० का भुगतान किया गया, जिस पर आपने भेंडर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो दर्शाता है कि आपकी मिली-भगत एवं मौन सहमति से मनरेगा की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

(3) कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार-सह-वरीय पदाधिकारी, बरियातु प्रखंड द्वारा मनरेगा योजनाओं की जांच की गई, जिसमें निम्नांकित चार योजनाओं में अनियमितता पायी गयी-

(i) साही महुआ से ब्रह्मदेव उरांव के घर होते हुए पीच रोड तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 5,46,435/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्य स्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 2,43,533/- रु० की पायी गई है । इस प्रकार योजना में 3,02,902/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है ।

(ii) वंशी यादव के घर से जीतु उरांव के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 1,49,688/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 94,557/- रु० की है। इस प्रकार योजना में 55,131/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है ।

(iii) विरेन्द्र ठाकुर के घर से रहमान मियां के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 5,07,116/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 2,91,903/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 53,686/- रु० का पाया गया है। इस प्रकार योजना में 2,38,217/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है ।

(iv) नगेश्वर उरांव के घर से नावाडीह तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की MIS में प्राक्कलित राशि 9,09,631/- रु० दिखाई गई है एवं व्यय की गई राशि 5,70,735/- रु० दिखाई गई है, जबकि कार्यस्थल पर वास्तविक व्यय मात्र 99,118/- रु० का ही पाया गया है। इस प्रकार योजना में 4,71,617/- रु० की अधिक निकासी कर ली गई है।

उपरोक्त सारी योजनाओं का अभिलेख जांच पदाधिकारी को न तो प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध हो पाया और ना ही पंचायत कार्यालय में। उन्हें यह बताया गया कि अभिलेख की जानकारी न तो प्रखंड कार्यालय के किसी सहायक को है और ना ही किसी पंचायत सेवक को। वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातु ने अपने पत्रांक-702, दिनांक 07.09.2016 द्वारा उपरोक्त योजनाओं का अभिलेख इस कार्यालय को भेजा गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि उपरोक्त अभिलेख आपके द्वारा उन्हें हस्तगत कराया गया। उक्त योजनाओं में कुल 10,67,867/- रु० राशि की अवैध निकासी आपके द्वारा की गई।

(4) आपने बरियातु प्रखंड के लिए मे० सादिया ट्रेडिंग कम्पनी को मनरेगा में सामग्री आपूर्ति के लिए भंडर के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा अपने पत्रांक-376 दिनांक 18.09.2014 को किया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मे० सादिया ट्रेडिंग का बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया, चंदवा में अंकित है। यह एक गंभीर प्रश्न है कि क्या मनरेगा के लाभुक बरियातु से चलकर बालूमाथ प्रखंड पार कर चंदवा प्रखंड में स्थित बैंक में आकर मनरेगा की राशि प्राप्त करते? जबकि बरियातु प्रखंड में बैंक उपलब्ध है। स्पष्ट है कि आपने जान-बूझकर मे० सादिया ट्रेडिंग, जिनका चंदवा प्रखंड में बैंक खाता था, को भंडर बनवाया ताकि मनरेगा की राशि का गबन किया जा सके।

आपके इस कृत्य के कारण मनरेगा की कुल 3,07,75,064.40 रु० की सरकारी राशि की क्षति हुई है, जिसके लिये आप जिम्मेवार हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-9651, दिनांक 16.11.2016 द्वारा मो० आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में इनके पत्रांक-308, दिनांक 12.07.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7581, दिनांक 28.06.2017 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-3005, दिनांक 28.12.2017 द्वारा मो० आलम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया तथा यह कहा गया कि मो० आलम द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जो तथ्य रखा गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2566(hrms), दिनांक 15.10.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-239, दिनांक 15.10.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। मो० आलम के विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में निम्नांकित मंतव्य दिया गया-

आरोप संख्या-1 पर मंतव्य- विशेष अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका-5 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि मनरेगा की क्रियान्वित योजनाओं की अभिलेखों की जांच के क्रम में पंचायतों के मूल अभिलेख एवं योजना पंजी में दर्ज अभिश्रव की राशि के विरुद्ध तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सीधे FTO कर अभिश्रव की राशि की निकासी की गई थी। वित्त अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन में अधिकांशतः मास्टर रोल की राशि पंचायत के संज्ञान में बताया गया है, किन्तु

सामग्री मद में किये गये भुगतान की जानकारी मुखिया/पंचायत सेवक/रोजगार सेवक के द्वारा नहीं कही गई है। अंकेक्षण के दौरान सामग्री मद में भुगतान किये गये FTO से संबंधित अभिश्रवों का योजना अभिलेखों के साथ पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहना यह संकेत करता है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों की अनुशंसा के बिना आरोपी के द्वारा सीधे सामग्री मद में FTO के माध्यम से भंडर के खाते में भुगतान कर दिया गया, जो नियमानुकूल नहीं है। अंकेक्षण दल के द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी के द्वारा पंचायत स्तरीय कर्मियों/ पदाधिकारियों की अनुशंसा के बिना 41,71,554/- रु० सामग्री मद में फर्जी अभिश्रव के आधार पर भंडर के खाते में FTO के माध्यम से राशि अंतरित करने का आरोप सही प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-2 पर मंतव्य-

- (i) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।
- (ii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।
- (iii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।
- (iv) आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।
- (v) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।
- (vi) आरोप असंगत प्रतीत होता है ।
- (vii) आरोपी के विरुद्ध अवैध निकासी का आरोप लगाया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप संख्या-3 पर मंतव्य-

- (i) आरोप सही प्रतीत होता है ।
- (ii) आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।
- (iii) आरोप सही प्रतीत होता है ।
- (iv) आरोप बहुत हद तक सही प्रतीत होता है ।

आरोप संख्या-4 पर मंतव्य- आरोपी के विरुद्ध यह आरोप निराधार प्रतीत होता है ।

इसके अतिरिक्त संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी के द्वारा कुल 52.28 लाख रु० अनियमित रूप से भंडर के खाते में हस्तानान्तरित कर सरकारी राशि को क्षति पहुँचाने का आरोप सही प्रतिवेदित किया गया है ।

मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी पाँच वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के प्रस्तावित दंड पर द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया ।

विभागीय पत्रांक-2070, दिनांक 19.03.2020 द्वारा मो० आलम से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । मो० आलम के पत्रांक-742/जि०स०क०, दिनांक 20.07.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है ।

श्री आलम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्य एवं विभागीय समीक्षोपरांत संकल्प सं०-768(hrms), दिनांक 25.01.2021 द्वारा उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध मो० आलम द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1270, दिनांक 29.07.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

विभाग द्वारा मो० आलम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई, जो निम्नवत् है-

(i) मो० आलम द्वारा अपील अभ्यावेदन में कहा गया है कि आरोप सं०-1 में दर्शायी गयी राशि का व्यय ही नहीं किया गया था। जब व्यय नहीं हुआ तो FTO पंजी में मुखिया/ रोजगार सेवक/पंचायत सेवक के द्वारा इंट्री क्यों की जाएगी। परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप सं०-1 के संबंध में कहा गया है कि आरोपी के द्वारा पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों की अनुशंसा के बिना 41,71,554/- रु० सामग्री मद में फर्जी अभिश्रव के आधार पर भेंडर के खाते में FTO के माध्यम से राशि अंतरित करने का आरोप सही प्रतीत होता है। साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया गया है कि योजनाओं में 41.71554/- लाख के अधिक भुगतान संबंधित पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के संज्ञान में नहीं है तथा 09 योजनाओं का मूल अभिलेख, योजना पंजी एवं अभिश्रव पंजी पंचायत एवं प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, जबकि मनरेगा वेबसाइट के अनुसार उक्त 09 योजनाओं में मास्टर रोल एवं अभिश्रव के रूप में राशि की निकासी पायी गई थी। संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि प्रश्नगत योजनाएं मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत थी, जिनका कार्यान्वयन पंचायत के द्वारा किया जाना था तथा पंचायत के द्वारा ही सामाग्रियों की आपूर्ति का आदेश दिया जाना था। सामाग्रियों की आपूर्ति मिलने के बाद विधिवत् उसका अभिश्रव अभिलेख में संधारित करते हुए अभिलेख के आदेशफलक तथा योजना पंजी आदि में मास्टर रोल एवं अभिश्रव की राशि का उल्लेख करते हुए राशि के भुगतान हेतु पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुशंसा किये जाने के बाद ही नाजीर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा एफ०टी०ओ० किया जाना था, किन्तु मो० आलम द्वारा इसका अनुपालन न करते हुए बिना पंचायत स्तरीय कर्मियों/पदाधिकारियों की अनुशंसा के सीधे सामाग्री मद में एफ०टी०ओ० के माध्यम से भेंडर के खाते में भुगतान कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है।

(ii) मो० आलम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कहा गया है कि संबंधित योजना प्रखंड का है एवं दूसरी ओर अभिलेख संधारण करने, उसका रख-रखाव करने एवं जांच के क्रम में उपस्थापित करने का दायित्व उनके द्वारा रोजगार सेवक पर थोपा गया है। प्रखंड स्तरीय योजनाओं के रख-रखाव का दायित्व प्रखंड सहायकों का होता है न कि रोजगार सेवक का।

(iii) विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण है-

(A) कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-वरीय पदाधिकारी, बरियातु प्रखंड एवं सहायक अभियंता एन०आर०ई०पी० के जांच प्रतिवेदन में साही महुआ से ब्रह्मदेव उराँव के घर होते हुए पीच रोड तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में वास्तविक कार्य का मूल्यांकन 2,43,535/- रु० प्रतिवेदित किया गया है, जबकि इस योजना में कुल 5,46,435/- रु० का भुगतान किया गया है। आरोपी द्वारा इस योजना का अभिलेख अपने उत्तरवर्ती पदाधिकारी को बाद में उपलब्ध करवाया गया, जो आरोपी के कार्यकलाप को संदेह के घेरे में ला खड़ा करता है। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज में सम्पूर्ण योजना का अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है और ना ही मापीपुस्त की प्रति संलग्न की गई है।

(B) कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं सहायक अभियंता द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में विरेन्द्र ठाकुर के घर से रहमान मिया के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना में वास्तविक कार्य का मूल्यांकन मात्र 53,686/- ₹० प्रतिवेदित किया गया है, जबकि योजना में कुल 2,91,903/- ₹० की निकासी की गई है। इसके अतिरिक्त योजना का अभिलेख न तो जांच टीम और ना ही अंकेक्षण टीम को उपलब्ध करवाया गया। विशेष तथ्य यह भी है कि इस योजना में मजदूरी के रूप में भुगतान शून्य दर्शाया गया है। अतः मजदूरी पर व्यय किये बिना पथ निर्माण की योजना का निर्माण किसी भी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। मो० आलम द्वारा साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज में इस योजना का न तो सम्पूर्ण अभिलेख और ना ही मापीपुस्त की प्रति संलग्न की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा कतिपय तथ्य छिपाया जा रहा है।

(C) कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं सहायक अभियंता के जांच प्रतिवेदन के अनुसार नागेश्वर उराँव के घर से नावाडीह तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण योजना की कुल प्राक्कलित राशि 9.96 लाख के विरुद्ध 5,70,735/- ₹० की निकासी की गई है, जबकि कार्य का मूल्यांकन मात्र 99,118/- ₹० प्रतिवेदित किया गया है। मो० आलम द्वारा साक्ष्य के रूप में सम्पूर्ण अभिलेख एवं मापीपुस्त की प्रति संलग्न न कर सिर्फ अभिश्रव की प्रति संलग्न किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इस योजना से संबंधित 03 अभिश्रवों में वाहन संख्या के स्थान पर Self एवं एक अभिश्रव में वाहन संख्या के स्थान पर सिर्फ रौलर लिखा होने के कारण इन अभिश्रवों की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतिवेदित की गई है। निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन के पत्रांक-148 दिनांक 03.03.2016 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के दौरान संबंधित पंचायत, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक के द्वारा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया एवं बताया गया कि अभिलेख बी०डी०ओ० साहब के पास है। संचालन पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि पंचायत स्तरीय कर्मियों/ पदाधिकारियों के द्वारा राशि के भुगतान करने की अनुशंसा किये बगैर मजदूरी/सामग्री मद में आरोपी का राशि का एफ०टी०ओ० करना बिल्कुल ही अनियमित है।

इसके अतिरिक्त योजना-सह-वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक-03 दि० 25.01.2019 द्वारा प्रेषित विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में मो० आलम की प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियातू, लातेहार की पदावधि में कुल 48,87,954/- ₹० की राशि का गबन प्रतिवेदित किया गया है एवं राशि ब्याज सहित वसूली हेतु अनुशंसा की गई है।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदन में श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, बरियातू के निजी बचत खाता सं०-306570595 (बैंक ऑफ इंडिया, भैंसा दोहन, बालूमाथ) में विभिन्न तिथियों को कुल रूपया 8,17,900/- सादिया ट्रेडिंग द्वारा हस्तांतरित करने का उल्लेख है। वेंडर के द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के निजी खाते में राशि की हस्तांतरण से स्पष्ट अर्थ है कि उक्त पदाधिकारी को उपकृत करने के लिए राशि हस्तांतरित की गई है। इसी तरह वेंडर के द्वारा आई०आर०सी०टी०सी० के माध्यम से कनीय अभियंता प्रभात सरोज एवं उनके परिजनों को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से फुडिंग, लॉजिंग एवं रेल टिकट भुगतान के मद में कुल 16,530/- का भुगतान किया गया है। उक्त कनीय अभियंता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न तिथियों को की गई हवाई यात्रा की राशि 65,283/- रुपये का भुगतान वेंडर के बैंक खाते से Clear Trip को किया गया है। अंकेक्षण दल द्वारा हवाई यात्रा के टिकट एवं बैंक पास बुक की छायाप्रति भी संलग्न की गई है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं

कनीय अभियंता के निजी खर्च पर वेंडर द्वारा राशि व्यय करने से स्पष्ट है कि वेंडर द्वारा नजायज भुगतान प्राप्त कर उक्त पदाधिकारियों को नजायज लाभ पहुँचाया गया है।

आरोपी का यह कहना कि जाँच पदाधिकारी द्वारा दबाव में आकर गलत प्रतिवेदन दिया गया है, इसलिए सही नहीं है कि जाँच पदाधिकारी (कार्यपालक दण्डाधिकारी) ने सहायक अभियंता द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। सहायक अभियंता पर भी कोई दबाव था, यह मानने का ठोस आधार नहीं है। आरोपी के द्वारा बिना किसी साक्ष्य के यह कहना कि भुगतान कार्य के अनुरूप हुआ है, मान्य नहीं प्रतीत होता है।

उक्त सारे तथ्यों के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध कुल 52.28 लाख रुपये अनियमित रूप से वेंडर के खाते में हस्तांतरित कर सरकारी राशि की क्षति पहुँचाने का आरोप सही/प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

आरोपी पदाधिकारी मो० आलम द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों को सम्पुष्ट करने हेतु साक्ष्य के रूप में संबंधित योजना अभिलेख एवं मापी पुस्त की सत्यापित/ छायाप्रति भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार संप्रति- अंचल अधिकारी, बालूमाथ, लातेहार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उन पर विभागीय संकल्प सं०-768(hrms), दिनांक 25.01.2021 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162	मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (third Batch), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उन पर विभागीय संकल्प सं०-768(hrms), दिनांक 25.01.2021 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
